1	2	3	4
6.	गंगा पार के मैदान	125	चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, बाजरा, कपास एवं चना
7.	पूर्वी पठार एवं पहाड़ियां	395	चावल, गेहूं, मक्का, रागी, मूंगफली, रामतिल, लिनसीड, ज्वार एवं चना
8.	मध्यवर्ती पठार एवं पहाड़ियां	375	चावल, ज्वार, गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, तोरिया, तुर, रामतिल, सनई, सोयाबीन, एवं तिल
9.	पश्चिमी पठार एवं पहाड़ियां	332	ज्वार, कपास, गेहूं, चना, बाजरा, चावल, मूंगफली एवं तुर
10.	दक्षिणी पठार एवं पहाड़ियां	394	मूंगफली, ज्वार, चावल, कपास, बाजरा, रागी, अरण्डी एवं मक्का
11.	पूर्वी समुद्र तटीय मैदान तथा पहाड़ियां	192	चावल, मूंगफली, बाजरा, कपास, रागी, ज्वार, पटसन, रामतिल, तम्बाकू एवं गन्ना
12.	पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान एवं पहाड़ियां	114	चावल, रागी, टोपिओका, मूंगफली, केला, ज्वार, तिल एवं सनई
13.	गुजरात के मैदान एवं पहाड़ियां	196	कपास, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गेहूं, चावल, रागी, गन्ना, तुर एवं मक्का
14.	पश्चिमी बारानी भूमि	175	बाजरा, चना एवं तोरिया
15.	द्वीपसमूह	8	—

टिप्पणी :—भौगोलिक क्षेत्र जिला स्तर के रिपोर्टिंग क्षेत्र के जोनों का पुर्नसारणीकरण पर आधारित है। अतः ऐसे क्षेत्र जहां से परिणाम नहीं आये हैं तथा चीन और पाकिस्तान द्वारा अनधिकृत क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है।

स्रोत : एग्रो–क्लाईमेटिक रिजनल प्लानिंग — एन ओवरव्यू (योजना आयोग)

दिल्ली में सहकारी आवास समितियों के लिए भूमि की आवश्यकता

1244. **श्री राम जेठमलानी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में वर्ष 1983 से लगभग 1,406 सहकारी आवास समितियां पंजीकृत की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केवल 320 पंजीकृत समितियों के संबंध में ही भूमि आबंटित करने के निर्णय को क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो शेष समितियों को कब तक भूमि आबंटित किये जाने की संभावना है ; और

(घ) इन शेष समितियों के लिए कुल कितनी भूमि की आवश्यकता का अनुमान है और क्या प्रशासन ने दिसम्बर 1990 तक इतनी भूमि आबंटित कर दी थी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) से (घ) दिल्ली में 1983 से 1427 सहकारी सामूहिक आवास समितियां पंजीकृत की गई हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1983 से पूर्व पंजीकृत 518

सहकारी सामहिक आवास समितियों को करीब 1248 एकड़ भूमि आबंटित की है। द्वारका चरण-I और II तथा नरेला में करीब 400 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आबंटित करने का प्रस्ताव है। शेष समितियों के लिए भूमि की अनुमानित आवश्यकता करीब 900 हैक्टेयर होगी। इन समितियों को भूमि का आबंटन भूमि का और अधिग्रहण और विकास करने के पश्चात् ही किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए इस समय कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बनाई जा सकती है।

Allotment of Houses/Plots by D.D.A.

1245. SARDAR JAGJIT SINGH AURORA:

SHRI RANJIT SINGH:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of applicants are registered with the Delhi Development Authority for residential plots and residential units etc.;

(b) if so, what is the number of applicants who were not allotted plots or residential units till December 1990, and whether Government have any time-bound programme to meet the needs of the remaining registered applicants; and

(c) if so, the details in this regard and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DAULAT RAM SARAN): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) 91,448 registrants for flats and 45,856 registrants for plots were awaiting allotment till December, 1990. All these registrants are likely to be allotted flats/plots by the end of 8th Five Year Plan.

दिल्ली में सहकारी आवास समितियों को भूमि का आवंटन

1246. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में लगभग 320 सहकारी आवास समितियों को भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों को भूमि का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा तथा उन्हें भूमि का कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन समितियों को दी जाने वाली भूमि की कीमत अभी 975 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गयी है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1987 में पप्पनकलां की भूमि की कीमत 425 रुपये प्रति वर्ग मीटर आंकी गयी थी और इस दर पर डी० डी०ए० द्वारा कितनी भूमि आवंटित की गयी थी ?

शहरी विकास मंत्री (श्री दौलत राम सारण) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका चरण-I तथा II और नरेला में लगभग 400 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

(ख) प्रीमियम की अदायगी सहित कोडल औपचारिकताओं के पूरा होने पर तथा समितियों की परस्पर-वरिष्ठता नियत करने के लिये निर्धारित किये गये मानदंड को चुनौती देने संबंधी उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं के निर्णय की शर्त पर।

(ग) द्वारका में समितियों को भूमि के आवंटन के लिये चालू दर 975 रुपये प्रति वर्ग मीटर नियत की गई है।

(घ) 1-9-87 से 31-8-88 तक दक्षिण और केन्द्रीय दिल्ली क्षेत्र के लिये भूमि की वैध दरें 450 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी। तथापि, इस दर पर पप्पन कलां/द्वारका में कोई भूमि आबंटित नहीं की गई है।